न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

दायरा दिनांक : 12.11.2024

अपील संख्या 2024 / 188

उनवान

1. अमर पुत्र प्रभू, जाति बागरी
2. ईश्वर पुत्र प्रभू, जाति बागरी
3. दिलीप पुत्र प्रभू, जाति बागरी
4. प्रेमा बाई पुत्री प्रभू, जाति बागरी
5. रूपा बाई बेवा प्रभू, जाति बागरी
6. औकार पुत्र धन्ना, जाति बागरी
7. शम्भू पुत्र धन्ना, जाति बागरी
8. गीता पुत्री धन्ना, जाति बागरी
9. सीता पुत्री धन्ना, जाति बागरी

अकवाम निवासीगण ग्राम सरवर, तहसील गंगधार, जिला झालावाड (राजस्थान)

.... अपीलांट

बनाम

1. रामकिशन उम्र 65 वर्ष, पुत्र कालू माता विशनबाई
2. भग्गा आयु 40 वर्ष, पुत्र कालू माता विशनबाई
3. सीता बाई उम्र 62 वर्ष, पुत्री कालू माता विशनबाई
4. रेशम बाई उम्र 58 वर्ष, पुत्री कालू माता विशनबाई
5. रतन पुत्र गमेर लाल, जाति बागरी
6. प्रभू पुत्र गमेर लाल, जाति बागरी
7. कैलाश पुत्र कालू, जाति बागरी
8. राय सिंह पुत्र कालू, जाति बागरी
9. गंगा बाई पुत्री कालू, जाति बागरी
10. पारी बाई बेवा कालू, जाति बागरी

अकवाम निवासीगण ग्राम सरवर, तहसील गंगधार, जिला झालावाड (राजस्थान)

11. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार गंगधार, जिला झालावाड (राजस्थान)

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 225
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री चन्द्र प्रकाश खण्डेलवाल अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री महेश कुमार माहेश्वरी अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

दिनांक : 23.05.2025

निर्णय

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गंगधार के प्रकरण संख्या – 323–324 / 2024 निर्णय दिनांक 06.11.2024 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थीगण रेस्पोडेंटगण ने एक वाद अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 धारा 151 सी. पी. सी. पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम कचनारा, पटवार हल्का कचनारा, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रामपुरा, तहसील गंगधार, जिला झालावाड की अंतिम चौसाला जमाबंदी संवत 2074–2077 जमाबंदी 2077 (वर्ष 2020) से खाता संख्या 32 के कुल किता 13 रकबा 4.9066 में से खसरा नं. 1164 रकबा 0.7335 हेक्टर, खसरा नं. 1165 रकबा 0.7335 हेक्टर, खसरा नं. 1166 रकबा 0.7461 हेक्टर व खसरा नं. 1167 रकबा 0.7335 हेक्टर आराजी बाबत यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गंगधार ने अपने निर्णय दिनांक 06.11.2024 से अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कर दिया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि निर्णय अधीनस्थ न्यायालय विधि एवं न्याय के सर्वथा विपरीत है जो निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड से पूर्णतया साबित था कि विवादित आराजी जो प्रार्थना पत्र की मद नं. 2 में अंकित की गई है, के अपीलान्ट खातेदार एवं काबिज व्यक्ति हैं। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने बिना आधार के अपीलान्ट के विरूद्ध एक तरफा आदेश जेर अपील जारी कर खसरा नम्बर 1164 व 1167 की आराजी के मामले में रेकार्ड व मौके की स्थिति बनाये रखे जाने का आदेश पारित किये जाने में त्रुटि की है। विवादित आराजी के अपीलान्ट खातेदार एवं काबिज व्यक्ति हैं। कानूनन किसी खातेदार के विरूद्ध किसी भी तरह की निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस कानूनी बिन्दू पर गौर नहीं फरमा कर निर्णय जेर अपील पारित करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट/प्रार्थीगण के द्वारा जो प्रार्थना पत्र एवं दावा पेश किया है उसमें मुख्य रूप से खसरा नं. 1164 व 1167 की आराजी पर 60–62 वर्षों का कब्जा बताते हुए वाद पेश किया है जबकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई राजस्व अभिलेख तथा गिरदावरी प्रस्तुत नहीं की गई जिससे विवादित आराजी पर रेस्पोडेन्ट का कब्जा साबित हो और कानूनन कब्जे के आधार पर किसी व्यक्ति को खातेदार घोषित करने का कोई प्रावधान नहीं है। रेस्पोडेन्ट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में जो भी तथ्य अंकित किये गये हैं उनका कोई ठोस आधार नहीं है, सभी तथ्य मनगढंत लिखे गये हैं। रेस्पोडेन्ट का विवादित आराजी पर कभी कोई कब्जा नहीं रहा एवं रेस्पोडेन्ट की नानी के समय विवादित आराजी का कभी कोई बंटवारा नहीं हुआ। राजस्व अभिलेख में विवादित आराजी केवल अपीलान्ट के शामलाती खाते एवं कब्जे की आराजी है जो राजस्व अभिलेख से साबित है। रेस्पोडेन्ट स्थगन आदेश की आड़ में जबरन अपीलान्ट के खाते एवं कब्जे की आराजी पर कब्जा करना चाहते हैं एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कानूनी प्रावधानों के विपरीत अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर निर्णय जेर अपील पारित कर दिया है। ऐसी स्थिति में माननीय न्यायालय में यह अपील पेश करना आवश्यक हो गया है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश दिनांक 06.11.2024 निरस्त फरमाया जावे।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराया। बहस के दौरान कथन किया कि अपील मेमों ही हमारी बहस है। अतः अपील स्वीकार की जावे और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस कथन किया कि वादग्रस्त आराजी हमने क्रय की है और वादग्रस्त आराजी पर हमारा कब्जा काश्त है। अधीनस्थ न्यायालय ने इसी आधार पर अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की है। हमने वादग्रस्त आराजी इकरारनामे से क्रय की है। विवाद के बिन्दु मूल वाद में तय होगे अतः अधीनस्थ न्यायालय ने अस्थायी निषेधाज्ञा सही जारी की है। अतः अपील खारिज की जावे। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने अपने पक्ष के समर्थन में आर.बी.जे. 2016 पेज 244, 2024(2) आर.आर.टी. पेज 1331 की नजीरे उद्धरत की।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी रेस्पोडेंटगण द्वारा प्रस्तुत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रार्थना पत्र को दिनांक 06.11.2024 को दर्ज रजिस्टर कर प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस सुनते हुए ग्राम कचनारा, तहसील गंगधार की खाता संख्या 32 की कुल किता 13 कुल रकबा 4.9066 हेक्टर आराजी में से विवादित आराजी खसरा नं. 1164, 1165, 1166 व 1167 आराजी में से खसरा नम्बर 1164 व 1167 के राजस्व रेकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अप्रार्थीगण को जरिये अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश मे यह भी अंकित किया है कि प्रार्थीगण 30 दिवस के अन्दर अप्रार्थीगण की तलबी कराना सुनिश्चित करें। अधीनस्थ न्यायालय की आगामी तारीख पेशी की आदेशिका दिनांक 03.12.2024 में यह अंकित है कि प्रतिवादी 1 ता 10 की तलबी प्राप्त हुई है, जो शामिल फाईल की गई। प्रतिवादी 1 ता 10 बावजूद सूचना के अनुपस्थित। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पेज नं. 44 से 53 पर सलंग्न तलवानों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण को तलवी हो चुकी थी। इसके बावजूद अप्रार्थीगण अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए और ना ही अधीनस्थ न्यायालय में अप्रार्थीगण द्वारा जवाब पेश किया गया। सीधे ही इस आदेश के विरूद्ध अप्रार्थीगण अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा में यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रकरण का अंतिम रूप से निस्तारण नहीं हुआ है एवं वर्तमान में प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सन्दर्भित प्रकरण में दिनांक 06.11.2024 को पारित आदेश अंतरिम

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

प्रकृति का आदेश है। प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण होना शेष है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के तहत धारा 212 के प्रार्थना पत्र का अंतिम रूप से निस्तारण 30 दिवस की समयावधि में किये जाने का कानूनन प्रावधान है। अतः प्रकरण का शीघ्र अंतिम रूप से निस्तारण किया जाना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को ऑर्डर 39, नियम 3 सी. पी. सी. की पालना करते हुए प्रकरण का शीघ्र निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.11.2024 यथावत रखा जाकर अधीनस्थ न्यायालय को निर्देर्शित किया जाता है कि इस आदेश के संज्ञान में आने के उपरान्त 30 दिवस के भीतर उभयपक्षकारान को सुनकर विचाराधीन धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र का गुणावगुण के आधार पर अंतिम रूप से निस्तारण करें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23/05/2025

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा